



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 191]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 13, 2019/फाल्गुन 22, 1940

No. 191]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 13, 2019/ PHALGUNA 22, 1940

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2019

**सा.का.नि. 218(अ).—**अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार पंजाब सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों को भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2019 कहा जा सकेगा।  
(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 2016, अनुसूची II में, -

(क) तालिका में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के बरिष्ठ वेतनमान से ऊपर के वेतन वाले पदों से संबंधित -भाग क में, प्रथम कॉलम में आने वाली "पंजाब" प्रविष्टि तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुसूची प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

"पंजाब"

सरकार के मुख्य सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
वित्त आयुक्त (विकास)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
वित्त आयुक्त (राजस्व)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
अपर मुख्य सचिव, गृह मंत्रालय और न्याय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
वित्त आयुक्त / प्रधान सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
वित्त आयुक्त अपील	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
मुख्य निर्वाचन अधिकारी और प्रधान सचिव, चुनाव विभाग	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15

मण्डल आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आबकारी एवं कराधान आयुक्त	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
राज्यपाल के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सरकार के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्य मंत्री के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, राज्य परिवहन	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
निदेशक, महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
रजिस्ट्रार, सहकारी समिति	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
सचिव, संस्थागत वित्त एवं बैंकिंग और लोक उद्यम ब्यूरो एवं सह-सरकार के सचिव	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
स्थानिक आयुक्त, पंजाब सरकार, नई दिल्ली	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त तकनीकी शिक्षा और औद्योगिक प्रशिक्षण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
आयुक्त, उद्योग और वाणिज्य	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14

(ख) वेतन के अपर विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों से संबंधित भाग ख में, तालिका में पंजाब के अधीन आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा,-

“पंजाब सरकार के विशेष / अपर / संयुक्त सचिव
निदेशक, सूचना और जन संपर्क
निदेशक, राज्य परिवहन
निदेशक, ग्रामीण विकास एवं पंचायत
निदेशक, भू-अभिलेख और बंदोबस्त और समेकन और भूमि अधिग्रहण
निदेशक, स्थानीय सरकार
श्रम आयुक्त
निदेशक, रोजगार सृजन
निदेशक, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण
निदेशक, महिला एवं बाल विकास
निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी
महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
अपर निदेशक, उद्योग
अपर रजिस्ट्रार, सहकारी समिति
अपर आयुक्त, आबकारी और कराधान
उपायुक्त
अपर उपायुक्त / अपर उपायुक्त (विकास) / मुख्य कार्यकारी अधिकारी
संयुक्त विकास आयुक्त, एकीकृत ग्रामीण विकास
अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी
निदेशक खनन
निदेशक, सामाजिक सुरक्षा ”

[फा. सं. 11031/05/2016-अ.भा.से.-II (ख)]

वसंथी वी बाबू, अवर सचिव

**टिप्पणी :** प्रधान नियम, तारीख 08 सितम्बर, 2016 की सा.का.नि. सं. 870(अ) के तहत भारत के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या तथा तारीख को संशोधित किए गए:-

क्र.सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	1062 (E)	10.11.2016
2.	1178(E)	27.12.2016
3.	1194(E)	30.12.2016
4.	575(E)	12.06.2017
5.	1382(E)	10.11.2017
6.	1429(E)	17.11.2017
7.	1585(E)	22.12.2017
8.	566(E)	15.06.2018
9.	819(E)	28.08.2018
10.	1124(E)	16.11.2018
11.	1222(E)	19.12.2018

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**

**(Department of Personnel and Training)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th March, 2019

**G.S.R. 218(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government, in consultation with the Government of **Punjab** hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, namely: —

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 2019.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 2016, in Schedule II,—

(a) in Part A relating to Posts carrying pay above the Senior Scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments, in the table, for the entry “Punjab” occurring in the first column and corresponding entries in the second column, the following shall be substituted namely:—

**“Punjab**

Chief Secretary to Government	Level 17 in the pay matrix
Financial Commissioner (Development)	Level 17 in the pay matrix
Financial Commissioner (Revenue)	Level 17 in the pay matrix
Additional Chief Secretary, Home Affairs and Justice	Level 17 in the pay matrix
Financial Commissioner/ Principal Secretary	Level 15 in the pay matrix
Financial Commissioner Appeal	Level 15 in the pay matrix
Chief Electoral Officer and Principal Secretary, Department of Election	Level 15 in the pay matrix

Commissioner of Divisions	Level 14 in the pay matrix
Excise & Taxation Commissioner	Level 14 in the pay matrix
Secretary to Governor	Level 14 in the pay matrix
Secretary to Government	Level 14 in the pay matrix
Secretary to CM	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, State Transport	Level 14 in the pay matrix
Director, Mahatma Gandhi State Institute of Public Administration	Level 14 in the pay matrix
Registrar of Cooperative Societies	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Food , Civil Supplies and Consumer Affairs	Level 14 in the pay matrix
Secretary, Institutional Finance & Banking and Bureau of Public Enterprises-cum-Secretary to Govt.	Level 14 in the pay matrix
Resident Commissioner, Govt. of Punjab, New Delhi	Level 14 in the pay matrix
Commissioner for Technical Education and Industrial Training	Level 14 in the pay matrix
Commissioner, Industries & Commerce	Level 14 in the pay matrix

(b) in Part B relating to Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Administrative Service under the State Governments including posts carrying Special Allowance in addition to pay, in the table for the entries occurring under Punjab the following shall be substituted,—

“Special/Additional/Joint Secretary to the Government of Punjab
Director, Information and Public Relation
Director of State Transport
Director of Rural Development and Panchayat
Director of Land Records and Settlement & Consolidation and Land Acquisition
Director of Local Government
Labour Commissioner
Director of Employment Generation
Director, Welfare of SCs & BCs
Director, Development of Women and Children
Director, Information Technology
Director General, School Education
Additional Director of Industries
Additional Registrar of Co-op Societies

Additional Commissioner, Excise & Taxation
Deputy Commissioners
Additional Deputy Commissioner/ Addl. Deputy Commissioner (Development)/Chief Executive Officer
Joint Development Commissioner, Integrated Rural Development
Additional Chief Electoral Officer
Director Mining
Director, Social Security”

[F. No.11031/05/2016-AIS-II(B)]

VASANTHI V. BABU, Under Secy.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* number G.S.R. 870(E) dated the 08<sup>th</sup> September, 2016 and subsequently amended by the following GSR No. and date:-

Sl.No.	GSR No.	Date
1.	1062 (E)	10.11.2016
2.	1178(E)	27.12.2016
3.	1194(E)	30.12.2016
4.	575(E)	12.06.2017
5.	1382(E)	10.11.2017
6.	1429(E)	17.11.2017
7.	1585(E)	22.12.2017
8.	566(E)	15.06.2018
9.	819(E)	28.08.2018
10.	1124(E)	16.11.2018
11.	1222(E)	19.12.2018